न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।

उपस्थित: पीठासीन अधिकारी– सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

सत्र परीक्षण संख्याः–712/2022

CNR No.–**UPGZ**01–019088–2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–2010/2022)

राज्य बनाम श्रीमती नाजमा

मुकदमा अपराध सं०–382/2022

अंतर्गत धारा–302 भा०दं०सं०

थाना–लोनी बोर्डर, गाजियाबाद।

उपस्थितः–

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री विरेश त्यागी व सहोयगी विद्वान अधिवक्तागण श्री मौ० इमरान व श्री नईमुद्दीन।

2. अभियुक्ता श्रीमती नाजमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार हंडा।

दिनांक–05–07–2023

1– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता श्रीमती नाजमा उपस्थित। साक्षी पी.डब्लू. 03 शादाब वास्ते जिरह उपस्थित। अभियुक्ता की तरफ से प्रार्थनापत्र दिनांकित 05–06–2023 जरिये विद्वान अधिवक्ता वास्ते वीडियो रिकॉर्ड/ सी.सी.टी.वी. फुटेज दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2(a) प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि अभियोजन का उपरोक्त केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्ता के खिलाफ प्रमुख साक्ष्य सी.सी.टी.वी. फुटेज को आधार माना है। आई.ओ. महोदय ने सी.सी.टी.वी. फुटेज रिकॉर्डिंग की केवल एक कॉपी फर्द मीमो बनाकर आरोप पत्र के साथ भेजी है। अभियुक्ता को धारा 207 दं०प्र०सं० व दिनांक 08.02.2023 के प्रार्थना पत्र के क्रम में आज तक प्रश्नगत सी.सी.टी.वी. वीडियो नहीं मिली है, जिस कारण अभियुक्ता व अभियुक्ता के डिफेंस काउन्सिल को बचाव करने में परेशानी हो रही है और सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग अभियुक्ता के पास न होने के कारण अभियुक्ता की सजा और बढ़ रही है।

2(b) प्रार्थना पत्र में प्रमुख विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जोकि निम्नवत हैः–

1–Superintendent and Remembrancer of legal affairs, west Bengal Vs. Satyen Bhowmick & Ors (2018) 17 SCC 324 में न्यायालय ने कहा था कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ वे सब ब्यान और दस्तावेज लेने का हक है जिन्हें भी अभियोजन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।

इस प्रकार किसी भी आपराधिक परीक्षण में जो भी दस्तावेज अभियोजन के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है उन सभी की पूरी व मानक रूप में एक कॉपी आरोपी के पास होना जरूरी है क्योंकि इसी से एक Fair Trial उस आरोपी को दिया जा सकेगा।

2–P. Gopalkrishnan Vs. State of Kerla (2020) 9 SCC 161 में माननीय उच्चतम

न्यायालय का फैसला है कि–

पैरा–41 :–धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत मजिस्ट्रेट केवल उन दस्तावेजों को आरोपी को देने से इन्कार कर सकता है जो बहुत अधिक बड़े होते हैं किसी अन्य कारण से कोई दस्तावेज आरोपी को देने से मना नहीं किया जा सकता और यदि वह Electronics Evidence है तो इसके Valuminous अर्थात बड़े होने का तो कोई मतलब ही नहीं है।

Supreme Court's Draft Criminal Rules on Practice 2021:–

2(c) जो भी कुछ आई.ओ. ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है उसकी कॉपी आरोपी को दी जानी जरूरी है। यदि किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत छः महीने की अवधि में अपने रूल्स में तदानुसार संशोधन नहीं किये हैं तो इसमें आरोपी के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। उसे वे तमाम अधिकार मिलने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी Suo moto writ (CRL) No. (S) 1/2017 में दिये थे और जिन्हें Draft Criminal Rules on Practic 2021 के रूप में प्रकाशित किया गया था। अब यह लागू कानून बन चुका है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि आरोपी कोर्ट के पास आता है कि जाँच एजेन्सी ने कोर्ट में भेजे गये सारे दस्तावेज उसको नहीं दिये हैं और आरोपी के फेवर वाले दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किये हैं तो यदि आरोपी मांग करता है तो कोर्ट को आरोपी के उस अधिकार को मान्यता देनी होगी। उन दस्तावेजों को आरोपी की पहुँच तक लाना होगा। इसके बाद मा० सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुल मिलाकर यह मामला प्रोसिक्यूशन या मा० हाई कोर्ट द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर से अधिक व्यापक है। यह धारा 207 दं०प्र०सं० के दायरे से भी बाहर चला जाता है बल्कि यह तो अनेक वर्षों से कोटर्स के द्वारा की जा रही तपस्या से जुटाए गए Free and Fair Trial के वचन और Article 21 Constitution of India के तहत मिली गारन्टी का मामला बन जाता है। उस पर मा उच्चतम न्यायालय ने कहा Draft Criminal Rules के पैरा 19 में हमने लिखा था कि सभी हाई कोर्ट इन नियमों का Criminal Trials में लागू करने तथा वर्तमान Rules Notification व व्यवहार प्रणालियों में उचित बदलाव करने का तत्काल कदम उठायेंगे तथा आज से छः माह के भीतर–भीतर अपने Official Gazette में इनको प्रकाशित करेंगे। केन्द्र तथा सभी राज्य अपने अपने पुलिस मैनुअल्स या अन्य नियमावली में भी छः माह में ही तदानुसार संशोधन कर लेंगे। यदि कोई राज्य या Investigatting Agency ने उक्त परिवर्तन नहीं किये हैं तो इस आधार पर आरोपी के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। मा० उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि Draft Criminal Rules on Practic 2021 के पैरा 8 में हमने लिखा है कि Section 173, 207 एवं 208 दं०प्र०सं० के ब्यान वस्तुगत सामग्री तथा जब्त किये गये सारे Exhibits दिये जाने जरूरी हैं। आई.ओ. को यह बताया होगा कि इन Statements, Documents, Material, Objects And Exhibits में से वह किन–किन को ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने वाला है। डिफेन्स की इस बात पर प्रोसिक्यूशन ने आपत्ति की कि वर्तमान केस वाले राज्य तमिलनाडु ने उपरोक्त Draft Criminal Rules को लागू नहीं किया है। जिन राज्यों में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये Draft Criminal Rules on Practic 2021 को लागू नहीं किया गया है उन राज्यों में भी आरोपी को यह अधिकार होगा कि उसे अभियोजन के सब

Statements, Documents, Material आदि की कॉपी दी जाये। यदि नहीं दी जाती है तो वह उस ट्रायल को विषाक्त करने जसी बात होगी।

2(d) प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त कारणों के आधार पर अभियुक्ता को अनुच्छेद 21 भारत के संविधान व Draft Rules of Criminal Practice 2021 And Free and Fair Trial के अनुसार सी.सी.टी.वी. फुटेज की वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लोन कॉपी दिलवाने के आदेश न्यायहित में करने की कृपा करें जिससे अभियुक्ता अपना पक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार रख सके।

3– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत सी.सी.टी.वी. फुटेज/वीडियो रिकॉर्डिंग दिलाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सूचीबद्ध किया जावे।

4– न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा कमिटल आदेश दिनांकित 08–09–2022 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि अभियुक्ता नाजमा को धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुसार अभियोजन प्रपत्रों की नकल देकर अनुपालना की जा चुकी है। पुनः अभियोजन दस्तावेज की नकल किये जाने के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। अभियुक्ता जरिये विद्वान अधिवक्ता आवश्यक अभियोजन प्रपत्र नियमानुसार ले सकती है। वांछित सी.सी.टी.वी फुटेज/वीडियो रिकॉर्डिंग विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान दिये गये हैं। जब तक उनकी प्रामाणिकता विवेचक द्वारा सत्यापित नहीं हो जाती तब तक उसके आधार पर अन्य साक्षी से जिरह का अवर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि अभियुक्ता को उसके आधार पर किसी साक्षी से जिरह करनी है तो उसके पश्चात वह पुनः साक्षी को बुलाकर या बचाव साक्षी के दौरान जिरह कर सकती है। अतः यह प्रार्थनापत्र वर्णित कारणों के आधार पर खारिज होने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्ता नाजमा की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 05–06–2023 वास्ते वीडियो रिकॉर्ड/ सी.सी.टी.वी. फुटेज दिलाने, निरस्त किया जाता है।

2– पत्रावली वास्ते अभियोजन शेष साक्ष्य दिनांक 10–07–2023 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या– 13, गाजियाबाद।